

27/14/2012-एस0आर0एस0

भारत सरकार
कार्मिक लोक सिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

तीसरा तल, लोक नायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली,
दिनांक 26 जून 2013 ।

सेवा मे,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश सरकार,
सचिवालय लखनऊ।

मुख्य सचिव,
उत्तराखंड सरकार,
देहरादून।

विषय :- दिनांक 15.01.2013 को आयोजित परामर्शी समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार श्री अमरनाथ, बंदीरक्षक तथा श्री विक्रम सिंह, रिजर्व बंदीरक्षक का अनुसूचित जाति/ जनजाति आवंटन दिशानिर्देश के अंतर्गत प्राप्त आवेदन का निपटान ।

महोदय,

मुझे उपर्युक्त विषय के संबंध में यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 15.01.2013 को आयोजित परामर्शी समिति की बैठक में श्री अमरनाथ, बंदीरक्षक तथा विक्रम सिंह, रिजर्व बंदीरक्षक से प्राप्त अनुसूचित जाती जनजाति आवंटन दिशानिर्देश के अंतर्गत उत्तर प्रदेश पुनरावंटन हेतु प्रत्यावेदन पर विचार किया गया । समिति को अवगत करवाया गया कि श्री अमरनाथ, बंदीरक्षक तथा विक्रम सिंह, रिजर्व बंदीरक्षक उत्तर प्रदेश राज्य के मूलनिवासी एवं अनुसूचित जाति श्रेणी के कार्मिक हैं और उनके द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य हेतु विकल्प दिया गया था। अतः समिति द्वारा शासनादेश दिनांक 24.06.2010 के आधार पर उनके राज्य पुनरावंटन उत्तर प्रदेश के लिए किये जाने कि संस्तुति की गई ।

2. भारत सरकार समिति की उपर्युक्त संस्तुति से सहमत है तथा तदनुसार श्री अमरनाथ, बंदीरक्षक तथा विक्रम सिंह, रिजर्व बंदीरक्षक का राज्य पुनरावंटन अनुसूचित जाति/ जनजाति आवंटन दिशानिर्देश के अंतर्गत उत्तराखंड राज्य से उत्तर प्रदेश राज्य के लिए किया जाता है।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, लोक नायक भवन
Deptt. of Personnel & Tg. Lakhnau
प्राप्ति और निगम अनुभाग
Receipt & Issued Section

संबन्धित कार्मिको को निर्णय के बारे में सूचित किया जाये ।

26 JUN 2013

जारी किया/ISSUED

प्रतिलिपि:-

- (1) श्री अशोक घोष, प्रमुख सचिव, 30 प्र0 पुनर्गठन समन्वय विभाग, 46, बहुखंडी भवन, सचिवालय, लखनऊ ।
- (2) श्रीमति हेमलता ढोंडियाल, सचिव, पुनर्गठन विभाग, उत्तराखंड शासन, सचिवालय, देहरादून ।

भवदीय,
(सारंगधर नायक)

आवर सचिव, भारत सरकार